फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

डुंगरराम बनाम मांगीलाल इत्यादि किस्म मुकदमा....225 आर.टी.एक्ट न. 144 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.2023	पत्रावली बाद जांच होकर कार्यालय से पेश हई। हई। अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 304/2023 अनवान डूंगरराम बनाम मांगीलाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08.08.2023 के विरूद्ध पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री रोशनलाल उपस्थित। अपील दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु दिनांक 04.09.2023 को पेश हो।	
04.09.2023	पत्रावली पेश हई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री रोशनलाल उपस्थित। अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि है तथा सभी सहखातेदारान् का कानूनन प्रत्येक इंच भूभागपर कब्जा काश्त है। विवादित भूमि में अपीलांट का 1/4 हिस्सा निहित है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला अपीलार्थी के पक्ष में है। विवादित भूमि का राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग अमल दरामद है, किंतु राजस्व नक्शें में सामलाती दर्ज है। प्रत्यर्थीगण सड़क के किनारे वाली भूमि पर अधिक हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू है, किंतु मौके पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर लेते है तथा अपीलार्थी को बेदखल कर देते है तो अपीलार्थी को गम्भीर असुविधा एवं अपूरणीय क्षति होगी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के दावे के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी हो संरक्षित रखने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं को बखूबी साबित किया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की इस्तदुआ को स्वीकार नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2023 को निरस्त फमरमाया जाकर वाद के अंतिम निस्तारण तक रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व अपीलार्थी के हिस्से से सड़क तक पहुंचने में कोई बाधा इत्यादि प्रत्यर्थीगण उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद किये जाने का आदेश फरमावे। अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के उपरांत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई है। पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अपीलांट द्वारा अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत	

04.9.23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नहीं किया है, जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं यथा– प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को अपीलांट के पक्ष में साबित हो तथा रेस्पोडेंट्स द्वारा उनकी खातेदारी की भूमि में दखलंदाजी की जा रही हो।

यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, जिसमें अप्रार्थीगण की तामील उपरांत अपीलांट के पास वही चाराजोही कर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेशिका है, के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश जारी किया जाना न्यायालय हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट इस स्तर पर ही निर्णित की जाकर अपीलांट्स को हिदायत दी जाती है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्त करे। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन के जरिये शीघ्रतिशीघ्र तामील करवाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

04.9.23

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर